

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0सं0-02/परी0-09(को0प्र0)-04/2018-1790

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
2. अवर सचिव, (वै0दा0नि0को0) वित्त विभाग, बिहार, पटना।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 19-09-2019

विषय:- ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारी के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित सेवा के पदाधिकारी के संबंध में जिला पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता	प्रशिक्षण-अवधि	संबंधित जिला पदा0/समा0द्वारा कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर ह0 की तिथि
01	सुश्री अर्चना कुमारी, प्रशिक्षु ग्रामीण विकास पदाधिकारी, भोजपुर, आरा	11.01.2019 से 04.02.2019 तक	12.02.2019

विश्वासभाजन,

19/9/19

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं0सं0-02/परी0-09(को0प्र0)-04/2018-1790 पटना, दिनांक- 19-09-2019

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी भोजपुर, आरा एवं श्री सुश्री अर्चना कुमारी, प्रशिक्षु ग्रामीण विकास पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/19

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

19/09/19